



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
संभार्याय कार्यालय REGIONAL OFFICE
केन्द्रीय विद्यालय न.1, ए.एफ.एस.कैम्पस, सेक्टर-14
KV No.1, AFSCampus, Sector-14
गुरुग्राम, हरयाणा / Gurugram (Haryana)-122001
Phone: 0124-2307399(DC), 2307499, 2307599, 2307699

E-mail: dcrogurgaon@kvsedu.org ; admnkvsrogurgaon@gmail.com

एफ.32050/वरिष्ठ-वेतनमान/प्रशा./2017-18/के.वि.सं.(गुडगाँव)/4397-4404

दिनांक: 05-अक्टूबर-2017
तत्काल डाक/ई-मेल

शुद्धिपत्र

इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रं. एफ.32050/वरिष्ठ-वेतनमान/प्रशा./2017-18/के.वि.सं.(गुडगाँव)/3511-3608, दिनांक 08-सितम्बर-2017 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि पत्र दिनांक 08-सितम्बर-2017 में स्नातकोत्तर शिक्षकों के वरिष्ठ वेतनमान, पे-बैंड को "PGT Senior Scale 9300 – 34800 GP 5400 (PB-2)" के स्थान पर "PGT Senior Scale 15600 – 39100 GP 5400 (PB-3)" पढा जाए।

यह बदलाव केवल निम्नलिखित स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए मान्य है तथा पत्र दिनांक 08-सितम्बर-2017 में दिए गए अन्य नियम एवं शर्तें जैसे दी गई हैं वैसे ही लागू रहेंगी, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है :

| क्र. सं. | शिक्षक का नाम | पदनाम | केन्द्रीय विद्यालय जहाँ कार्यरत हैं |
|----------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 | MS. SARITA YADAV | PGT (Chem) | Raghunathpura |
| 2 | MR. MANJEET SINGH | PGT (Bio) | No.2, Sirsa |
| 3 | MRS. CHARANJEET SETHI | PGT (Hindi) | Hissar Cantt. |

(एस. एस. रावत)
उपायुक्त

वितरण:

1. सम्बंधित कर्मचारी।
2. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, सम्बंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस कार्यालय आदेश की दो प्रतियाँ (एक प्रति सम्बंधित कर्मचारी को देकर रसीद प्राप्त करके उसकी व्यक्तिगत पंजिका में रखें) इस उद्देश्य के साथ प्रेषित कि वे सम्बंधित कर्मचारी जिसको इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया गया है, उनसे सम्बंधित विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड से इस तथ्य को पुनः सत्यापित करें कि सम्बंधित कर्मचारी नियमानुसार पात्र है, यदि नहीं, तो उस कर्मचारी का पूर्ण विवरण इस कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। सम्बंधित कर्मचारी से इस आशय का एक वचनबद्धता पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत करने में कभी भी किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश को वापिस ले लिया जाएगा। सम्बंधित प्राचार्यों द्वारा प्रेषित जानकारी के आधार पर शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया गया है, अतः वेतन निर्धारण के लिए सेवा पुस्तिका भेजने से पूर्व प्रेषित जानकारी एवं वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति के आदेश में वर्णित समस्त तथ्यों का मिलान कर लें। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो तुरंत इस कार्यालय को सूचित करें।
4. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
5. निजी सहायक, उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम संभाग- वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय आदेश संचिका।